प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 17.07.2022(थाना रानीगंज)

हत्या के अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे से कपड़ा(मृतक), 03 अदद मोटर साइकिल, 01 साइकिल(मृतक) व 03 अदद मोबाइल बरामद।

बेटे ने अपने रिस्तेदारों के साथ मिलकर की थी पिता की हत्या।

मृतक की बेटी नें अपने पिता की हत्या होने की शंका पर अपने भाई व उनके साथियों के विरुद्ध थाना रानीगंज में अभियोग पंजीकृत करायी थी, दिनांक 12.06.2022 को घर से साइकिल द्वारा रानीगंज बाजार के लिए निकले थे।

थाना रानीगंज में बेटे ने अपने पिता बद्री प्रसाद पटेल के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल द्वारा उक्त घटना/अभियोग से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में कल दिनांक 16.07.2022 को प्रभारी निरीक्षक थाना रानीगंज श्री सर्वेश कुमार सिंह मय टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित,वारन्टी अभियुक्त/विवेचना के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 267/22 धारा 302, 201, 506 भादवि से संबंधित अभियुक्तगण 1- संजय कुमार पटेल पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद पटेल निवासी ग्राम शाहपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, 2- शिवपाल पटेल पुत्र रामरतन निवासी ग्राम मंडल मासो थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़, व 3- दिनेश कुमार पटेल पुत्र स्व0 मोतीलाल निवासी ग्राम ठेगई का पूरा माधोपुर थाना सोरांव जनपद प्रयागराज को 03 अदद मोटर साइकिल,01 अदद साइकिल , 03 अदद मोबाइल फोन व कपड़ा (मृतक) के साथ जनपद प्रयागराज बार्डर पर सारी पट्टी भवानापुर थाना बहरिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

1- संजय कुमार पटेल पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद पटेल निवासी ग्राम शाहपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़,
2- शिवपाल पटेल पुत्र रामरतन निवासी ग्राम मंडल मासो थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़,
3- दिनेश कुमार पटेल पुत्र स्व0 मोतीलाल निवासी ग्राम ठेगई का पूरा माधोपुर थाना सोरांव जनपद प्रयागराज।

बरामदगी -

1- कपड़ा (मृतक का),

2- 01 अदद मोटर साइकिल प्लेटिना काला गाड़ी नं0 यूपी 72 एडब्ल्यू 3518 (घटना में प्रयुक्त),

3- 01 अदद मोटर साइकिल एचएफ डीलक्स गाड़ी नं0 यूपी 70 डीडब्ल्यू 9074 (घटना में प्रयुक्त),

4- 01 अदद मोटर साइकिल सीडी डॉन गाड़ी नं0 यूपी 72 एफ 0377(घटना में प्रयुक्त),

5- 01 साइकिल (मृतक का)

6- 03 अदद मोबाइल फोन(घटना में प्रयुक्त)।

नोट - अभियुक्तगण के निशानदेही पर मृतक बद्रीप्रसाद का नरमुण्ड(खोपड़ी) बरामद हुई जिसे पोस्टमार्टम हेतु भेजवाया गया।

पुलिस टीम - प्रभारी निरीक्षक थाना रानीगंज श्री सर्वेश कुमार सिंह मय टीम थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

लूट व छेड़खानी के अभियोग से संबधित 01 अभियुक्त अवैध तमंचा-कारतूस के साथ गिरफ्तार (थाना लालगंज)

कल दिनांक 16.07.2022 की रात्रि में जनपद के थाना लालगंज से उ0नि0 श्री विनीत कुमार उपाध्याय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 450/22 धारा 147, 307, 452, 323, 504, 506, 354क, 354ख भादवि व मु0अ0सं0 184/22 धारा 392 भादवि से संबंधित अभियुक्त दिलशाद खान पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम तिलौरी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मिस फायर कारतूस 315 बोर, 01 अदद मोबाइल, पर्स, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड व 1720 रुपए नगद के साथ थाना क्षेत्र के गहरी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर अभियुक्त दिलशाद खान उपरोक्त के विरुद्ध **मु0अ0सं0 491 /22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

दिलशाद खान पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम तिलौरी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मिस फायर कारतूस 315 बोर, 01 अदद मोबाइल, पर्स, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड व 1720 रुपए नगद।

पूछताछ का विवरण- पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त दिलशाद उपरोक्त से पूछताछ करने पर दिलशाद ने बताया कि दिनांक 05.07.2022 को अशफाक की स्वीफ्ट डिजायर कार से मैं, अशफाक और मेरे गांव के अरबाज व अफसर अशफाक की घर की तरफ से गाना बजाते हुए आ रहे थे तभी अशफाक और अरबाज ने बासूपुर की एक लड़की को देखकर कुछ कमेन्ट्स किये जिसपर उसकी मां द्वारा एतराज करने पर उन लोगों से हमलोग मार पीट किये थे तथा पूछताछ में आगे बताया कि मैं और अशफाक नें मिलकर दिनांक 23.03.2022 को वर्मानगर तिराहे के पास से एक स्कूटी सवार महिला के गले से चैन छीन लिया था, जिसे हम दोनों नें प्रतापगढ़ शहर में आने जाने वाले एक व्यक्ति को रोककर 15000/- रुपये में बेंच दिये थे तथा पैसे को आपस में बांट लिये थे, मुझे हिस्से में 7500/- रुपये मिला था जिसमें से खर्च करने के बाद यह बरामद हुए पैसे बचे हैं, उक्त घटना हम लोक एक काले रंग की मोटर साइकिल से किये थे जिसे अशफाक लेकर आया था, मोटर साइकिल के बारे में जानकारी नहीं है।

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री श्री विनीत कुमार उपाध्याय मय हमराह थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को एक अदद डण्डा (आला कत्ल) के साथ गिरफ्तार (थाना हथिगवां)

आज दिनांक 17.07.2022 को जनपद के थाना हथिगवां से थानाध्यक्ष श्री संतोष कुमार सिंह * मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 141/22 धारा 147,148,149,302,504,506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट* से सम्बन्धित अभियुक्त *शिवचन्दर सरोज पुत्र महेश सरोज निवासी ग्राम जैसावां थाना हथिगवां प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के फूलमति नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शिवचन्दर सरोज पुत्र महेश सरोज निवासी ग्राम जैसावां थाना हथिगवां प्रतापगढ़।

बरामदगी -

एक अदद डण्डा आला कत्ल।

पुलिस टीम - थानाध्यक्ष श्री संतोष कुमार सिंह मह हमराह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कंधई)

जनपद के थाना कंधई से उ0नि0 रमेश सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 292/22 व धारा 376D, 363, 366 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट** से संबंधित अभियुक्त **सलमान खान पुत्र इबरार खान** निवासी ग्राम गहरीचक थाना कन्धई, प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के प्रगासपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-(थाना महेशगंज)

जनपद के थाना महेशगंज के उ0नि0 श्री हेमन्त कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित,वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0सं0 507/10 धारा 147, 148, 149, 307, 335, 332 भादंवि से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त **पग्गन उर्फ रामासरे पुत्र रामनाथ सरोज** निवासी ग्राम टाण्डा थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ व मु0नं0 57/95 धारा 427, 506 भादवि से संबंधित अभियुक्त **राकेश पुत्र महारानीदीन** निवासी ग्राम ऐंधा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।